झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.03.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री भूषण तिर्की स0वि0स0	झारखण्ड सरकार के हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय के पत्रांक सं0- 153/सी0, राँची, दिनांक- 20.05.2017 के तहत् पदा0/कर्मी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी है कि ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि इनकी नियुक्ति हुए करीब 7 वर्ष हो गये है। ये सभी पदा0/कर्मी अपना कार्य उत्कृष्ट तरीके से करते आ रहे है। सरकार द्वारा नियुक्त सभी Dist. co-ordinator एवं अन्य कर्मी अपनी लगन और मेहनत से सरकार द्वारा निर्धारित कार्यो का सम्पादन सफलतापूर्वक कर रहे है। लेकिन इनकी सेवा नियमित नहीं होने के कारण इनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि इनकी वेतन विसंगती को दूर करते हुए सेवा नियमतीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।	उद्योग
02-	डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0 श्री केदार हजरा स0वि0स0 श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	"राज्य के दो प्रमुख जिला कोडरमा और गिरिडीह माइका (अभ्रक) उत्खनन वाले जिले है, जहाँ राज्य की करीब एक लाख से भी अधिक लोगों के समक्ष रोजगार प्राप्त होते थे, परन्तु वर्त्तमान काल में स्थिति	उद्योग

01.	02.	03.	04.
		यह है कि उद्योग मृतप्राय हो चुकी है। इस ढिबरा उद्योग से एक तरफ यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त होते थे, जो उनके आजीविका का एकमात्र साधन थें वहीं दूसरी ओर राज्य को राजस्व की भी प्राप्तियाँ होती थी। 17 जनवरी 2023 को राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कोडरमा आगमन के दौरान इस उद्योग को वैध रुप से प्रारम्भ करने की बात कही थी, परन्तु आजतक स्थिति पूर्ववत है, जिससे यहाँ की लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ के उन अभिभावको के समक्ष अपने बच्चे-बच्चियों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यो में कठिनाईयाँ हो रही है और वे लोग अपने को असहाय महसूस कर रहें हैं। माना यह भी जाता है कि माइका (अभ्रक) के साथ ऐंटामिक मिनरल लिथियम के अंश हो सकते हैं, जिनकी जाँच भूतत्व निदेशालय द्वारा जमशेदपुर स्थित ऐंटामिक मिनरल डिविजन को भेजी गई थी, जिसकी जाँच लम्बित रहने के कारण यह उद्योग प्रारम्भ नहीं हो पाई है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ कि उक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोडरमा व गिरिडीह जिला में मृतप्राय माइका (अभ्रक) उद्योग को पुर्नजीवित करने हेतु अविलम्ब स्वीकृति प्रदान की जाय, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	
03-	श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची के द्वारा दिनांक- 4 अप्रैल 2022 को 06 विभिन्न पदों के लिए 44 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसके आवेदन देने की अंतिम तिथि 02 मई 2022 निर्धारित की गई थी। उक्त प्रकाशित विज्ञापन में कितना पद आरक्षित है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बहाली की प्रक्रिया में घोर अनियमितता	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		बरती जा रही है। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त प्रकाशित नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुऐ नये सिरे से नियुक्ति कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	गृह एवं कारा विभाग, झारखण्ड सरकार ने कुल-771 गृह रक्षा वाहिनी पद के लिए दिनांक-15.05.2016 को विज्ञापन निकाला गया था। इसके उपरांत सभी उम्मीदवारों का लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। विभाग के द्वारा लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों की प्रथम मेधा सूची एवं द्वितीय मेधा सूची प्रकाशित किया गया। पूर्व में विभाग के द्वारा जिस रातु प्रखण्ड एवं बेड़ो प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों का नाम प्रथम मेधा सूची में प्रकाशित किया गया था, उसी रातु प्रखण्ड एवं बेड़ो प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों का नाम द्वितीय मेधा सूची के नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड में प्रकाशित किया गया। विभाग के द्वारा नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सभी सफल उम्मीदवारों का अंतिम चयन हेतु मूल प्रमाण पत्र की सत्यापन एवं थाना सत्यापन किया गया। परन्तु वर्त्तमान में विभाग के द्वारा उक्त सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द कर बाकी 653 उम्मीदवारों का बुनियादी प्रशिक्षण हेतु अंतिम चयन किया गया है। नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सफल उम्मीदवारों का बुनियादी प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया गया है। जिस कारण नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सभी सफल उम्मीदवार मानसिक रूप से काफी परेशान है एवं उन लागों में काफी आक्रोश की भावना है।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से गृह रक्षा वाहिनी पद के लिए नगड़ी प्रखण्ड एवं इटकी प्रखण्ड के सभी सफल उम्मीदवारों को अंतिम रुप से चयन कर बुनियादी प्रशिक्षण कराने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
05-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	पूरे राज्य में कई ऐसी जातियाँ है, जिनका खतियान में नाम गलत अंकित हो जाने के कारण जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यथा लोहार/ लोहरा/ कमार/ करमाली/ बड़ाईक/ चिक बड़ाईक/ गोप-यादव/ घटवार/ घटवाल/ कुड़मी/ कुरमी/ तेली/ कोल्ह/ चन्द्रवंशी/ कहार आदि जातियों को एक ही परिवार/ एक ही जाति होने के बावजूद अलग-अलग प्रमाण-पत्र निर्गत हो रहा है, किन्ही को अनुसूचित जनजाति/तो किसी को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। इसी प्रकार, सुवर्णवणिक/बनिया/कलवार /जायसवाल आदि जातियों के साथ भी ऐसी ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः राज्यहित में तथा जनहित में सरकार से सदन के माध्यम से उपर्युक्त जातियों की कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन कर समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

राँची,
दिनांक- 02 मार्च, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-......3054/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/03/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, उद्योग विभाग/ सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग/ सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/03/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-86/2024-......3054/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/03/24

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/03/2024